

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2022—आषाढ़ 21, शक 1944

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022

क्र. एफ 30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अथवा बाहर बांस की मात्रा के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए वसूली किए जाने हेतु निम्नानुसार शुल्क विहित करती है:—

बांस की मात्रा (1)	दर (रुपये में) (2)
<b>(अ) ट्रक द्वारा परिवहन हेतु</b>	
(1) दो नोशनल टन तक	400/-
(2) 2 से 5 नोशनल टन तक	600/-
(3) 5 नोशनल टन से अधिक	800/-
<b>(ब) ट्रेक्टर-ट्राली द्वारा परिवहन हेतु</b>	
4 नोशनल टन अधिकतम	400/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पद्माप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022

क्र.-एफ 30-08-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 12 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पद्मप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 8<sup>th</sup> July 2022

No. F-30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rule, 2000, the State Government hereby prescribes the following fee to be recovered for issue of Transit Pass for quantity of Bamboo within or outside the State of Madhya Pradesh as follows :—

Quantity of Bamboo (1)	Amount (in Rs.) (2)
<b>(A) For transport by truck</b>	
1. Up to 2 notional tonne	400/-
2. 2 To 5 notional tonne	600/-
3. More than 5 notional tonne	800/-
<b>(B) For transport by tractor trolley</b>	
Maximum 4 notional tonne	400/-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.